

कार्यालय:

वन विभाग, हरियाणा सरकार  
उप वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) पानीपत।

वन परिसर असन्ध रोड़, पानीपत, दूरभाष/ फैंक्स न0:- 0180-2650331 E-Mail : dfopanipat04@yahoo.co.in

क्रमांक:- 572  
सेवा में,


दिनांक:- 16/7/24

कार्यकारी अभियंता,  
सिचाई विभाग, पानीपत।

**विषय:- Diversion of 0.861 Ha. Forest land for Remodeling & Lining of Main Drain No. 2 by providing brick pitching on side slop from G.T. Road (NH-44) to Barsat Road reach RD 58100 to RD 67500 in Distt Panipat (Proposal No. FP/HR/Canal/48639 Date of Sub. 02-09-2020)**

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव बारे आपको पुनः अवगत करवाया जाता है कि उक्त प्रस्ताव (Main Drain No 2 by providing brick pitching on side slop from G.T. Road (NH-44) to Barsat Road reach RD 58100 to RD 67500 in Distt Panipat) गैर-वानिकी कार्य हेतु संरक्षित भूमि उपयोग में लाई जानी थी। आवेदित किये गये प्रस्ताव की शिकायत श्री पी0पी0 कपूर, सूचना अधिकार कार्यकर्ता, समालखा द्वारा की गई शिकायत की जांच हेतु श्री रविन्द्र सिंह, तकनीकी अधिकारी (वानिकी) ग्रेड-1, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। प्रस्तावित स्थल का मौका निरीक्षण दिनांक 27.11.2019 को श्री रविन्द्र सिंह, तकनीकी अधिकारी (वानिकी) ग्रेड-1, तत्कालीन वन मण्डल अधिकारी सुश्री निवेदिता भोजराजन, भा0व0से0, श्री जय किशन, वन राजिक, श्री नीरज, वन रक्षक, श्री एस0पी0 सिंगला, उप मण्डल अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, पानीपत, श्री हरीश कुमार, कनिष्ठ अभियंता, सिचाई विभाग तथा श्री पी0पी0 कपूर, सूचना अधिकार कार्यकर्ता की मौजूदगी में किया गया था। जांच अधिकारी द्वारा फाईल सं0 12-68/2010-ROC Dated 11-12-2019 द्वारा The Under Secretary (ROHQ), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Indira Paryavarn Bhawan, Jor Bag Road, New Delhi-110003 को भेज दी गई थी। जिसमें उनके द्वारा ड्रैन नं0 2 के साथ रोड बनाने की आवश्यकता न होने बारे अंकित करते हुए रिपोर्टनुसार विषयांकित प्रस्ताव को विद्वा करने बारे आपत्ति लगाई गई।

इसके अतिरिक्त आपको अवगत कराया जाता है कि उपायुक्त महोदय, पानीपत ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 2006/एम0बी0 दिनांक 27.09.2023 द्वारा उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), MoEF & CC, RO, Chandigarh. को उक्त प्रस्ताव में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर पुनः विचार करते हुए उक्त केस में CM Announcement होने के कारण आवश्यक स्वीकृति बारे पत्राचार किया गया है। उक्त प्रस्ताव में जब तक उच्चाधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती यह कार्यालय आगामी आवश्यक कार्यवाही करने सक्षम नहीं है। यह आपको सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
उप वन संरक्षक,  
पानीपत।